

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/कोर्ट केश-11-17/11...../ राँची, दिनांक :/

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 30.12.81 की कंडिका-II में निहित प्रावधान के आलोक में 10 वर्ष एवं 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत श्री जगदीश नारायण मंडल को जल संसाधन विभाग, बिहार पटना द्वारा आदेश संख्या-16052 दिनांक 21.12.87 से दिनांक 25.05.81 के प्रभाव से प्रदत्त प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति को सम्पुष्टि किया जाता है।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.02 एवं 1038 दिनांक 26.05.05 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय आदेश संख्या-263 दिनांक 27.01.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 एवं स्तम्भ-05 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवाक का नाम/ आई.डी./ जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	ए.सी.पी. लाभ की स्थिति		ए.सी.पी. लाभ का प्रसंग/ तिथि
			प्रथम वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	द्वितीय वेतनमान 10000-15200 देय तिथि	
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगदीश नारायण मंडल/ 02.05.46/ लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला	25.05.71	—	09.08.99	263/ 27.01.12 क्र. -17

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त ए.सी.पी. के तहत उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली अधिकतम-12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक -

रॉची, दिनांक -

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक -

रॉची, दिनांक -

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रॉची/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला को श्री जगदीश नारायण मंडल, कनीय अभियंता की मूल सेवापुस्त के साथ/ श्री जगदीश नारायण मंडल, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक - 4439

रॉची, दिनांक -

6-8-13

प्रतिलिपि- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)

6/8/13